न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(श्री कैलाश चन्द गुर्जर ,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :— 25 / 2018

निर्णय दिनांकः— 25.4.2018

उनवान

भंवरलाल पुत्र रामचन्द माता स्व0 ग्यारसी जाति कीर निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादी

बनाम

1.सत्यनारायण पुत्र जुगलकिशोर जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुरेश पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.नरेश पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.राजेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.उमेश पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.प्रेमशंकर पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
7.किशनलाल पुत्र सुवालाल जाति कीर निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
8.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री रामकिशन सैनी, वकील वादी
श्री गोविन्द शर्मा वकील प्रतिवादी 1 ता 7

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है, उक्त आराजीयात वादी के नाना सुखदेव तथा अन्य सह खातेदार प्रतिवादी न0 7 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। वादी के नाना के कोई लडका नही था इस कारण वादी के नाना सुखदेव ने वादी की माता ग्यारसी तथा वादी के पिता रामचन्द्र को अपने पास रखा तथा वादी के पिता रामचन्द्र ने अपने ससुर अर्थात ग्यारसी के पिता सुखदेव के जीवनकाल व वृद्वावस्था मे देखभाल की तथा विगत 70 वर्षो से वादी के माता पिता , वादी के नाना सुखदेव के पास रहते रहे। वादी के माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। वादी के नाना के पुत्र नही था तथा पांच पुत्रियां सुन्दर, ग्यारसी, भूरी, कल्याणी व धापू थी, जिसमे से सुन्दर, ग्यारसी व धापू फोत हो गई है। वादी के नाना सुखदेव ने प्रतिवादी न0 1 ता 6 के पिता जुगलकिशोर, राधेश्याम व मदनलाल पुत्रान कल्याण नाई के रहन रखी थी,जिसको विगत 80 वर्ष पहले ही वादी के नाना द्वारा रहन से बागुजास्त करवा ली थी। उक्त आराजी पर जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल का कभी कब्जा नही रहा। उक्त आराजीयात पर शुरू से ही वादी की माता व उसके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। परन्तु राजस्व रेकार्ड मेरहन का अंकन यथावत चला आ रहा है। उक्त आराजी पर रहन का अंकन होने के कारण उक्त आराजी के खातेदार ग्यारसी सुन्दर धापू पुत्रियां सुखदेव की मृत्यु हो जाने के कारण भी उनके वारिसान के नाम फोती नामान्तरकरण नही भरा जा सका है। जिससे वादी तथा ग्यारसी सुन्दर व धापू के वारीसान अपने वैधानिक हक से वंचित हो रहे है तथा राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ नही मिल पा रहा है। इस कारण उक्त आराजीयात से जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल के नाम रहन का अंकन को हटवाया जाना न्यायोचित है।

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx175

Scanned by CamScanner

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। आराजी ख0न0 597 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक से जुगलकिशोर, राधेश्याम, मदनलाल का नाम हटाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने बाबत आदेशित किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 7 मय वकील उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा दिनांक 28.2.2018 को ही इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2074 वाके ग्राम बनेठा मे आराजी ख0न0 597 रकबा 0.43 बारानी तृतीय किशनलाल पुत्र सुवा हि0 1/2, जाति कीर सा0 देह व सुन्दर पुत्री सुखदेवा हि0 1/10 जाति कीर सा0 देह खातेदार राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह हि.ब. मूर्त., ग्यारसी पुत्री सुखदेवा हि0 1/10 जाति कीर सा0 देह खातेदार राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह हि.ब. मूर्त.,भूरी पुत्री सुखदेवा हि0 1/10 जाति कीर सा0 देह खातेदार राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह हि.ब. मूर्त., कल्याणी पुत्री सुखदेवा हि0 1/10 जाति कीर सा0 देह खातेदार राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह हि.ब. मूर्त.,धापू पुत्री सुखदेवा हि0 1/10 जाति कीर सा0 देह खातेदार राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह हि.ब. मूर्त., दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 ता 7 ने मय वकील उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादी के वाद की पुष्टि की है।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे के आधार पर न्यायालय वादी के वाद को डिक्री किया जाना उचित समझता है। अतः वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। आराजी ख0न0 597 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम बनेठा मे से राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उनियारा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

भंवरलाल पुत्र रामचन्द माता स्व0 ग्यारसी जाति कीर निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1.सत्यनारायण पुत्र जुगलकिशोर जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.सुरेश पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.नरेश पुत्र राधेश्याम जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.राजेन्द्र पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
5.उमेश पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
6.प्रेमशंकर पुत्र मदनलाल जाति नाई निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
7.किशनलाल पुत्र सुवालाल जाति कीर निवासी बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक
8.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :–25 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रामकिशन सैनी वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व श्री गोविन्द शर्मा वकील मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी ख0न0 597 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम बनेठा मे से राहिन जुगलकिशोर राधेश्याम मदनलाल पि0 कल्याण जाति नाई नि0 देह का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उनियारा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 04 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx177

Scanned by CamScanner